

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक – 162 / 23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 30/01/2018

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्र दिनांक 09.01.2018।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग मार्ग प्रस्ताव सं. FP/UK/ROAD/15628/2015 में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा चाही गयी सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :-

Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	It is noticed from the KML file that the proposed alignment start from Gopeshwar-Pokhari road towards north and after covering considerable distance takes a U turns to go southward to connect Bacher Village, this intial U turns involve considerable extant of forest and appear unnecessary as there is no villages situated northward of the start point may explore alternate alignment which mat directly head in south-west direction from the start points to connect village Bacher thus avoding considerable extant of forest land.	मोटर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भूगर्भवेत्ता की सलाह से किया जाता है। मार्ग निर्माण के दौरान गन्तव्य स्थल तक मार्ग का ग्रेड निर्धारण करते हुये विषम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वांछित स्थल तक मार्ग पहुंचाने हेतु एच.पी. बैण्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रस्ताव में प्रयुक्त संरेखण भूगर्भवेत्ता के अनुसार उचित एवं एकमात्र उपलब्ध संरेखण है। संरेखण की प्रति संलग्न है।
2-	The Details in FRA certificate and the proceedings of DLC meeting are either over written or erased and re-written without any authentication by the competment authority.	Revised FRA certificate uploaded in Part-I (K) and Additional information also attached in a soft copy.
3-	In the land schedule uploaded as additional documents in Part-I online details of only 0.910 ha a civil land has been provided whereas the area proposed for diversion in 0.937 ha.	For construction of motor road require forest land is 0.910 and muck disposal point area ha is 0.027 ha so the total area proposed for diversion in 0.937 ha.
4-	The length and width details of the road provide in the hard copy of page 29 may be uploaded online is additional documents in Part-I.	The length and width details uploaded online is additional documents in Part-I. also attached in a soft copy.

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

30-1-18
अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

पत्रांक 15/6-7114
दिनांक 15/6-7114

Ph.No./Fax No - 01372-252173

E-Mail - sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक : 2584 / 437 यातायात - 07 / 2014,

दिनांक:- 10-07-2014

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
गोपेश्वर।

विषय : राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य का संरेखण प्रस्ताव (लम्बाई 4.00 कि.मी.)।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक 3865 / 16 सी. दिनांक 30.06.2014।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त संरेखण प्रस्ताव आपकी संस्तुति एवं आख्या के आधार पर संरेखण नं. 1 जो कन्टूर प्लान में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, 4.00 कि.मी. लम्बाई हेतु अनुमोदित कर एक प्रति में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न : संरेखण प्रस्ताव एक प्रति में।

अधीक्षण अभियन्ता,
सातवाँ वृत्त, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि - कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा.) वृत्तीय कार्यालय को उक्त प्रस्ताव की प्रति सहित अभिलेख हेतु प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियन्ता,
सातवाँ वृत्त, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

30-1-18
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:-

राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरघार से बछेर गांव तक 4.00 किमी. लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण का संरेखण प्रस्ताव।

मार्ग की स्वीकृति:-

शासनादेश सं. 1971 (1)/11(2)/13-55 (प्र0आ0)/2012 दि. 14.03.2013

स्वीकृत लम्बाई :-
संरेखण लम्बाई :-
लागत :-

4.00 किमी.
3.00 किमी.
₹ 50.32 लाख।

संरेखण की उपयोगिता:-

विकासखण्ड दशोली में बछेर गांव को सर्वत्रतु मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कुल 4.00 किमी. मोटर मार्ग की आवश्यकता है, जिसके तहत पोखरी-गोपेश्वर मोटर मार्ग के बछेरघार नामक स्थान से बछेर गांव हेतु 4.00 किमी. लम्बाई में प्रथम निर्माण हेतु शासनादेश सं. 1971 (1)/11(2)/13-55 (प्र0आ0)/2012 दि. 14.03.2013 द्वारा रु. 50.32 लाख की स्वीकृति (छाया प्रति संलग्न) प्रदान की गयी है।

यह संरेखण करने से पूर्व ग्रामवासियों की बैठक कर सर्वेक्षण चयनित स्थानों से पूर्ण किया गया। इस संरेखण प्रस्ताव में मार्ग का ग्रेड पूर्ण लम्बाई में 1:20 रखा गया है एवं इसमें 3 एच.पी. बैंड पड़ते हैं परन्तु इनसे मार्ग के स्थायित्व को कोई खतरा नहीं है, मार्ग का भू-वैज्ञानिक द्वारा भी दि. 11.3.2014 को निरीक्षण किया जा चुका है तथा इस पर उनकी भी सहमति है (छाया प्रति संलग्न)। इस संरेखण में कोई विवाद नहीं है एवं इससे मार्ग की लम्बाई भी 4.00 किमी. आती है, जिसमें कि 2.93 किमी. मार्ग नापभूमि एवं शेष 1.07 किमी. मोटर मार्ग वनभूमि से गुजरता है। प्रथम संरेखण कन्टूर प्लान में हरे रंग से दर्शाया गया है एवं संरेखण नं. 2 को लाल रंग से दर्शाया गया है।

प्रस्तावित मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें। प्रस्तावित संरेखण पर कोई मंदिर, मस्जिद एवं धार्मिक स्थल नहीं पड़ते हैं एवं संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं करता है।

संरेखण का विवरण:- बछेरघार से 4.00 किमी. लम्बाई में बछेर गांव को जोड़ने हेतु इस मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया है। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।

अतः प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है, संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

M.P. के.एस. - दूसरे के समान नहीं है, तथा संरेखण (नं. 1) ही उचित है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

New Alignment Pattern

अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

30-1-18

11 Band हेतु 34 मई 2014

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	पोखरी-गोपेश्वर मोटर मार्ग के बछेरधार नामक स्थान से बछेर गांव तक 4.00 किमी. लम्बाई में मोटर मार्ग नव निर्माण करने हेतु संरेखण गठित किया गया है। जिसमें ग्राम बछेर की सहमति प्राप्त है।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	4.00 किमी.	4.00 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	शून्य शून्य 2 किमी.	शून्य शून्य 1 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	शून्य	शून्य
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल	1:20 R एवं 1:40 R	1:17 R एवं 1:40 R
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	40° से 60° तक 20° से 40° तक	50 से 70 तक 30 से 50 तक
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	2 किमी. 1 किमी.	3 किमी. - किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता

14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (ब) बड़े पुल संख्या व विस्तार	शून्य	शून्य
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग मात्र ग्रीष्म ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभविन्नता ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. बछेर	-
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह संरेखण पोखरी-गोपेश्वर मोटर मार्ग के बछेरधार नामक स्थान से बछेर गांव तक 4.00 किमी. लम्बाई में मोटर मार्ग नव निर्माण करने हेतु संरेखण गठित किया गया है। जिसमें ग्राम बछेर की सहमति प्राप्त है। जिससे इस गांव की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार समरेखण नं. 1 अनुसार
18.	सामरिक महत्व	-	-
19.	हेयर पिन बैंड	3 नं.	4 नं.
20.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे आलू, दाल, सब्जी आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	<p>1. कठोर चट्टान कम लम्बाई में पड़ेगी।</p> <p>2. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी।</p> <p>3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है।</p> <p>4. इस संरेखण में एच.पी. बैंड पड़ेगे।</p> <p>5. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत हैं।</p> <p>6. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी होगा तथा छोटे विस्तार के पुलियाओं का निर्माण किया जाना है।</p>	<p>1. कठोर चट्टानें कम लम्बाई में पड़ेगी।</p> <p>2. ग्राम वासियों के खेतों की क्षति होने की सम्भावना है, साथ ही उक्त संरेखण में वृक्षों की संख्या भी अधिक आ रही है। क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के लिए अधिक मुआवाजा देने की प्रबल स्थिति बनी हुई है।</p> <p>3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी नहीं है।</p> <p>3. इस संरेखण में एच.पी. बैंड पड़ेगे।</p> <p>4. नाप भूमि अधिक पड़ने की सम्भावना के कारण तथा इस संरेखण की लम्बाई</p>

			अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण निर्माण में अधिक लागत के व्यय होने से उपयोगी नहीं है।
			5. अधिक लम्बाई होने के कारण तथा ग्रामीणों के अधिक खेतों के आने से ग्रामवासी कतई सहमत नहीं हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

30-1-18
अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.937 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Bacherdhar to Bacher Gaon motor road, Length 3.00 Km. Under State Sector (CM Announcement) at Dasoli Block in District Chamoli (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.937 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(Handwritten Signature)
25/1/18
(Ashish Joshi)

(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी

चमोली

DM FRA Letter

(Handwritten Signature) 36-1-18
अधिरासी अभियन्ता
राज्यीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under scheduled tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 25.01.2018 at time 16.00 hrs. at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.937 hect for the Construction of Bacherdhar to Bacher Gaon motor road, Length 3.00 Km. Under State Sector (CM Announcement) at Dasoli Block in District Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 25.01.2018


Signature
25/1/18
(Ashish Joshi)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

30-1-18
अभिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

मार्ग पर प्रभावित भूमि की स्थिति


कार्य का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद घमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरघार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव


चैनेज मीटर में	लम्बाई मीटर में	भूमि का प्रकार (क्षेत्रफल हे० में)			
		नाप भूमि	सिविल भूमि	आरक्षित भूमि	वन पंचायत
1	2	3	4	5	6
0-1150	1150	--	0.805	--	--
1150-1600	450	0.315	--	--	--
1600-1650	50	--	0.035	--	--
1650-1675	25	0.018	--	--	--
1675-1700	25	--	0.018	--	--
1700-1725	25	0.018	--	--	--
1725-1750	25	--	0.018	--	--
1750-2875	1125	0.788	--	--	--
2875-2950	50	--	0.035	--	--
2950-300	75	0.053	--	--	--
MULK			0.027	--	--
Total -	3000	1.190	0.937	--	--


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर


अधिशाली अभियन्ता
राज्य योजना विभाग
गोपेश्वर

लैण्ड शैडयूल (सिविल)

कार्य का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बाछेरघार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

जनपद का नाम	तहसील	ब्लाक	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा हे० मे	याचित क्षेत्रफल हे० मे
1	2	3	4	5	5
चमोली	चमोली	दशोली	4		0.937

अभिने

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता

उपराजस्व निरीक्षक

तहसीलदार
(रास्व)
चमोलीउपजिलाधिकारी
चमोलीप्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी

गोपेश्वर रेंज

कोटा जल संयोजक जीव प्रशास

30-1-18
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 1.19 हे० नाप, 0.91 हे० सिविल एवं 0.00 हे० आरक्षित वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा।

1700 मी० x 7 मी० = 11900 वर्ग मी० - 1.19 हे० नाप वनभूमि
1300 मी० x 7 मी० = 9100 वर्ग मी० - 0.910 हे० सिविल वनभूमि
45 मी० x 6 मी० = 270 वर्ग मी० - 0.027 हे० सिविल वनभूमि (प्रक)

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

पटवारी

तहसीलदार
(चमोली)

उपजिलाधिकारी,

उपजिलाधिकारी
चमोली

अधिसासी अभियन्ता

सहायक खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

30-1-18